पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612–2219116(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–39(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 16.05.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02– बाढ़ चक्रवात आदि–लघुशीर्ष–117– पशु धन के क्रय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष–0003– जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव, विपत्र कोड–एन2245021170003 मद में मो0–21000.00 (एक्कीस हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष–2016–17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघुशीर्ष–117– पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता।

उपशीर्ष–0003 जिवनोपयोगी पशुओं का बदलाव।

मांग संख्या–39 यूनिट कोड–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा

क्र0	अंचलाधिकारी का नाम	मद का नाम		
		पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1	अंचलाधिकारी, दानापुर	-	12000.00	12000.00
2	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी,	-	9000.00	9000.00
	कुल योग	-	**21000.00**	**21000.00**

(1) प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1973/आ0प्र0, दिनांक 26.05.15 की कंडिका 6(1) में निहित प्रावधान के अनुरूप हीं प्रति पशुपालक को भुगतान करने हेतु उपाबंटित किया जा रहा है।

(2) इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–117–पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष–0003– जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं की जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी हीं जिम्मेवार होंगे।

(4) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–1642/आ0प्र0, दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) आवंटित की गई सहायय अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक **15.03.2017** तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(6) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रीम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(7) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(8) इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक–**2561(वि0)(2)**, दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx72

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
फोन नं० 0612-2219116(का०)
फैक्स नं०-0612-22...
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

(७) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

अनुलग्नक—आवंटन पत्र की प्रति।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 478 /आ0प्र0, दिनांक 23/06/16

प्रतिलिपिः— अंचलाधिकारी, दानापुर एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः— जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक—39(स0अनु0)आ0प्र0, दिनांक—16.05.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/6

जिला पदाधिकारी,
पटना।

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx73